न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/55

श्याम सुन्दर आयु 65 वर्ष पुत्र पंजू मल निवीस बी– 12 न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा ।

बनाम

1. कृष्णा सोनी पत्नी सत्यनारायण सोनी निवासनी मकान नं0 103, शोपिंग सेन्टर कोटा जरिये मुख्तारआम योगेन्द्र सोनी पुत्र गोपाल सोनी निवासी बृजराजपुरा, कोटा ।
2. परसराम झामनानी पुत्र हरीशचन्द झामनानी निवासी 627 दादाबाडी मेनरोड, कोटा ।
3. श्रीमती चंचल पत्नी श्याम सुन्दर निवासी बी–12 न्यू कॉलोनी गुमानपुरा, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व निर्मला शर्मा जरिये मुख्तार आम योगेन्द्र सोनी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 80 की रकबा 0.13 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि की वादी खातेदार काश्तकार है । ग्राम खेडा जगपुरा में मोती, कालू, गोपी, प्रेमा, पप्पू, तुलसीराम, आशा पिसरान हरदा जाति बंजारा तथा जमना, कमला, पूरीबाई पुत्रियॉ हरदा व केशोबाई बेवा हरदा के खाते में खसरा नम्बर 40 की 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 की रकबा 1.14 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 80 की 0.13 हैक्टर भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 80 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2000 को वादीगण को विक्रय कर कब्जा दे दिया तब से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण ताकत के

बल पर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 80 की 0.13 हैक्टर वाके ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे न वादीगण के कब्जे में किसी पकार का कोई हस्तक्षेप न करें व वादीगण के वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे और न ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 व 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद साक्ष्य वादी से जिरह में वर्ष 2014 से चल रहा था और उनको कई बार अंतिम अवसर साक्ष्य हेतु दिये गये थे फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में वाद वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना कोई नोटिस जारी किये हुए व बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलान्ट की सहमति के लोक अदालत में डिक्री करने में त्रुटि की है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2017 को पेशी पर उपिस्थत होने पर न्यायालय के बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसे स्वीकार करने में त्रुटि की है । दावा साक्ष्य वादी में जिरह हेतु लम्बित था उनको कई बार अंतिम अवसर प्रदान किया गया था फिर

भी वे उपस्थित नहीं हुए थे ऐसी स्थिति में दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज होने योग्य था फिर भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट की सहमति के बिना लोक अदालत में दावा डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है दिनांक 03.12.2015 एवं दिनांक 07.01.2016 की कोई आदेशिका अंकित नहीं है। इसी तरह दिनांक 08.12.2016 और दिनांक 07.03.2016 की भी आदेशिका अंकित नहीं है अन्य तारीख पेशियों की भी आदेशिकाएं अंकित नहीं हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की रेस्पोडेन्ट वादिनी खातेदार एवं काबिज कृषक है । मूल खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र यह आराजी क्रय की गई है । निर्मला शर्मा ने भी जो कि सहखातेदार है दिनांक 10.03.2008 को अपना हिस्सा वादिनी को बेचान कर दिया था । अपीलान्ट इस पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा था । इस कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था । आराजी का अपीलान्ट न तो खातेदार है न ही काबिज है । अपीलान्ट को अपील करने का कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं है । अपीलाधीन निर्णय से अन्य पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है । इस कृषि आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में एक दावा दायर किया गया था ! सिविल न्यायालय ने अपीलान्ट की पत्नी चंचल और ज्योति का दावा वर्ष 2015 में खारिज किया था और वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना वरन् प्रतिवादी को ही काबिज एवं उनका स्वामित्व माना है। सिविल न्यायालय के निर्णय की अपील पेश की हुई है और उसमें स्थगन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है । दावा स्थायी निषेधाज्ञा का था ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 04 के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है । अपील अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 बहाल रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.10.2014 के अनुसार पत्रावली साक्ष्य वादी की जिरह हेतु लम्बित थी इसके उपरान्त दिनांक 29.10.2014 के अनुसार प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया जिसको दिनांक 28.04.2015 को खारिज किया गया । इसके उपरान्त कई तारीख पेशियॉ अग्रिम कार्यवाही हेतु दी गई और दिनांक 07.05.2017 को लोक अदालत में गुणागुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की थी जो पृष्ठ संख्या 86 पर संलग्न है । लोक अदालत में न तो

पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । पक्षकारों की अनुपस्थिति में सीपीसी की पालना किये बिना गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/1/2020

(भार्गवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा